विविध बैंक प्र0 सं0 1/2017 स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर मुख्य शाखा अनूपगढ़ जरिये मुख्य प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय जवाहर नगर, श्रीगंगानगर बनाम 1–मैसर्स जय बाबेरी ब्रिकस प्रो0 श्रीमति नीलमरानी पत्नि दीवानचंद चुघ स्थित चक 72 जीबी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर 2–दीवानचंद पुत्र श्री नानकचन्द जाति अरोड़ा निवासी वार्ड न0 7, आदर्श कोलोनी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

25–10–2017

प्रार्थी स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर के अभिभाषक श्री भारत भूषण महेन्द्रा उपस्थित है उनके द्वारा फहरिस्त सूचि के साथ पोस्ट ऑफिस रजिस्ट्री रसीद की प्रति पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। उनकी बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर के अभिभाषक श्री भारतभूषण महेन्द्रा का कथन है कि उनके द्वारा एक प्रा0 पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है (जिसे आगे अधिनियम कहा जाकर सम्बोधित किया जावेगा) कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी मैसर्स जय बाबेरी बिक्स प्रो0 श्रीमति नीलमरानी पत्नि श्री दीवानचंद चुघ स्थित चक 72 जीबी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर को ऋण सुविधा के रूप में 40,00,000/– रूपये (अखरे रूपये चालीस लाख मात्र) ऋण दिनांक 26.03.2015 को स्वीकृत किया था। उक्त ऋण की सुरक्षा की ऐवज में अप्रार्थी सं0 2 दीवानचंद गारन्टर ने अपनी सम्पति 1–वार्ड न0 7, विपरीत बस स्टेण्ड, आदर्श कोलोनी, रिहायशी सम्पति अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर सिथ्त रिहायशी सम्पति प्लाट न0 2 एच 12 एवं प्लाट न0 2 एच 13 क्षेत्रफल 1350 वर्गफुट 2–ओद्योगिक भूमि 1.443 हेक्टर क्षेत्रफल पूर्व में 330 फुट, पश्चिम 330 फुट, उत्तर में 313 फीट 6 ईन्च, पश्चिम में 313 फीट 6 ईन्च कुल 14430 वर्गमीटर किला न0 3 से 8 मुरब्बा नम्बर 17 खसरा नम्बर 271/436 चक 72 जीबी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर 3–प्लाट न0 4 व्यवसायिक सेक्टर, आदर्श कोलोनी, दादा पम्माराम धर्मशाला के पास, रेलवे स्टेशन रोड़, बस स्टेण्ड के विपरीत, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर स्थित व्यवसायिक सम्पति क्षेत्रफल 30 फुट गुणा 100 फुट कुल 3000 वर्गफुट को प्रार्थी बैंक के पास रहन रखा। अप्रार्थीगण द्वारा ऋण एव ब्याज का भुगतान नही करने के कारण उनका ऋण खाता दिनांक 11.08.2016 को एनपीए हो गया है। अप्रार्थी ऋणी की ओर दिनांक 30.08..2016 तक ऋण राशि 37,35,774.15 रूपये एवंम आगे का ब्याज तथा अन्य खर्चे बकाया है। अप्रार्थीयान को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का रजि0 नोटिस दिनांक 31.08.2016 को जारी किये गये। दिनांक 02.09.2016 व 05.09.2016 को नोटिस प्राप्ति के बावजूद अप्रार्थीयान द्वारा बैंक की बकाया ऋण राशि का भुगतान नही किया है। इसलिए अप्रार्थी श्री दीवानचंद चुघ गारन्टर द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखी गयी गई उक्त सम्पति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के तर्को पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने कुल 40,00,000/–रूपये ऋण राशि के रूप में दिनांक 26.03.2015 को अप्रार्थी मैसर्स जय बाबेरी बिकस प्रो0 श्रीमति नीलमरानी पत्नि श्री दीवानचंद चुघ स्थित चक 72 जीबी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर के नाम स्वीकृत किया था जिसकी सुरक्षा की ऐवज में अप्रार्थी श्री दीवानचंद चुघ गारन्टर द्वारा प्रार्थी बैंक के पास अपनी सम्पति 1–वार्ड न0 7, विपरीत बस स्टेण्ड, आदर्श कोलोनी, रिहायशी सम्पति अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर सिथत रिहायशी सम्पति प्लाट न0 2 एच 12 एवं प्लाट न0 2 एच 13 क्षेत्रफल 1350 वर्गफुट 2–ओद्योगिक भूमि 1.443 हेक्टर क्षेत्रफल पूर्व में 330 फुट, पश्चिम 330 फुट, उत्तर में 313 फीट 6 ईन्च, पश्चिम में 313 फीट 6 ईन्च कुल 14430 वर्गमीटर किला न0 3 से 8 मुरब्बा नम्बर 17 खसरा नम्बर 271/436 चक 72 जीबी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर 3–प्लाट न0 4 व्यवसायिक सेक्टर, आदर्श कोलोनी, दादा पम्माराम धर्मशाला के पास, रेलवे स्टेशन रोड, बस स्टेण्ड के विपरीत, अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर स्थित व्यवसायिक सम्पति क्षेत्रफल 30 फुट गुणा 100 फुट कुल 3000 वर्गफुट बधंक रखा। प्रार्थी बैंक के प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थीगण को बैंक द्वारा दिनांक 31.08.2016 को अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस के रजि0 नोटिस जारी किये और उक्त नोटिस प्राप्ति के बावजूद अप्रार्थीगण का उक्त नोटिसो पर किसी प्रकार का कोई आक्षेप या कोई अभ्यावेदन बैंक को प्राप्त नही हुआ है और न ही उनके द्वारा बैंक की बकाया राशि जमा करवाई गई है।

चूंकि अप्रार्थी सं0 1–मै0 जय बाबेरी ब्रिक्स प्रो0 श्रीमति नीलम रानी ऋणी 2–श्री दीवानचंद चुघ गारन्टर को धारा 13(2) के अन्तर्गत रजि0 डाक से नोटिस भिजवाये गये। प्रार्थी बैंक के शपथ पत्र, प्रस्तुत रजिस्ट्री रसीदें दिनांक 01.09.16 एवं रजि0 ए.डी. रसीद व पोस्ट ऑफिस के अलग–2 पत्र वितरण के अनुसार नोटिस वितरण हो चुके है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक की कोई बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई गई है और न ही उनके द्वारा कोई जबाब या अभ्यावेदन प्रार्थी बैंक को प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी श्री दीवानचंद चुघ गारन्टर द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखा गयी सम्पति 1–वार्ड न0 7, विपरीत बस स्टेण्ड, आदर्श कोलोनी, रिहायशी सम्पति अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर स्थित रिहायशी सम्पति प्लाट न0 2 एच 12 एवं प्लाट न0 2 एच 13 क्षेत्रफल 1350 वर्गफुट 2–ओद्योगिक भूमि 1.443 हेक्टर क्षेत्रफल पूर्व में 330 फुट, पश्चिम 330 फुट, उत्तर में 313 फीट 6 ईन्च, पश्चिम में 313 फीट 6 ईन्च कुल 14430 वर्गमीटर किला न0 3 से 8 मुरब्बा नम्बर 17 खसरा नम्बर 271/436 चक 72 जीबी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर 3–प्लाट न0 4 व्यवसायिक सेक्टर, आदर्श कोलोनी, दादा पम्माराम धर्मशाला के पास, रेलवे स्टेशन रोड, बस स्टेण्ड के विपरीत, अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर स्थित व्यवसायिक सम्पति क्षेत्रफल 30 फुट गुणा 100 फुट कुल 3000 वर्गफुट का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना आवश्यक है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अतः स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर मुख्य शाखा अनूपगढ़ जरिये मुख्य प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय जवाहर नगर, श्रीगंगानगर का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी श्री दीवानचंद चुघ गारन्टर द्धारा प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखी गयी सम्पति 1–वार्ड न0 7, विपरीत बस स्टेण्ड, आदर्श कोलोनी, रिहायशी सम्पति अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर स्थित रिहायशी सम्पति प्लाट न0 2 एच 12 एवं प्लाट न0 2 एच 13 क्षेत्रफल 1350 वर्गफुट 2–ओद्योगिक भूमि 1.443 हेक्टर क्षेत्रफल पूर्व में 330 फुट, पश्चिम 330 फुट, उत्तर में 313 फीट 6 ईन्च, पश्चिम में 313 फीट 6 ईन्च कुल 14430 वर्गमीटर किला न0 3 से 8 मुरब्बा नम्बर 17 खसरा नम्बर 271/436 चक 72 जीबी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर 3–प्लाट न0 4 व्यवसायिक सेक्टर, आदर्श कोलोनी, दादा पम्माराम धर्मशाला के पास, रेलवे स्टेशन रोड़, बस स्टेण्ड के विपरीत, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर स्थित व्यवसायिक सम्पति क्षेत्रफल 30 फुट गुणा 100 फुट कुल 3000 वर्गफुट का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त सम्पति का कब्जा प्राप्ति हेतु उनके चाहे अनुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 25–10–2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञाना

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर